tical, administrative, organisational etc. Don't go to the political parties in the Opposition; they will always...

MR. CHAIRMAN : That will do. Mr. Kulkarni, you are overdoing it.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Sir, I have already replied that whatever may be the mode of procurement we wiU take all necessary steps.

MR. CHAIRMAN : Next question.

SHRI A. G. KULKARNI : Sir, he ' has been bitten badly and.. .

MR. CHAIRMAN : Mr. Kulkarni you are very unfair to the House. I have called the next question and you still continue. Don't interrupt like this. It is not right.

SHRI A. G. KULKARNI : But, Sir he was. .

MR. CHAIRMAN : You monopolise all the time.

♦711. *[The questioner (Shrimati S'tia Devi) was absent. For answer* vide *cols.* 38-49 infra].

गोहत्या पर पाबंदी

*712. श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :
श्री ना० कृ० शेजवलकर :
श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी :†
श्री प्रेम मनोहर :
श्री ओउम प्रकाश त्यागी :
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
डा० भाई महावीर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता गत अनेक वर्षों से गोहत्या पर पूर्ण पाबंदी की मांग करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri D. Then-gari.

BAN ON COW-SLAUGHTER

*7i2.SHRI V. K. SAKHALECHA : SHRI N. K. SHEJWALKAR : SHRI D. THENGARI :+ SHRI PREM MANOHAR : SHRI O. P. TYAGI : SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : DR. BHAI MAHAVIR :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a popular demand for a complete ban on cow-slaughtei for the last many years; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?]

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । सरकार को यह ज्ञात है कि देश में एक बड़ी संख्या में लोग गो वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं ।

(ख) भारत सरकार ऐसी राज्य सरकारों से जिन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया है या केवल आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया है, आग्रह करती रही है कि वे गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और भार ढोने वाले पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिये कदम उठाये ताकि संविधान की धारा 48 का शीघ्र पालन किया जा सके । भारत सरकार ने गोरक्षा समिति भी नियुक्त की है । जिसका काम अन्य बातों के साथ-साथ गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करना है । इस समिति ने 30 सितम्बर, 1973 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी । समिति के अध्यक्ष ने इस अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने के लिये कहा है जोंकि विचाराधीन है ।

f[THE MINISTER OF STA1E IN 1HE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH) : (a) Yes, Sir, the Government are aware that a large

[ ]English translation.

number of people in the country are in favour of imposing a ban on the slaughter of cow and its progeny.

(b) The Government of India have been urging such of the State Governments as have not imposed a ban or imposed only a partial ban on the slaughter of cows to take steps for prohibiting the slaughter of cows ana claves and other milch and drought cattle to secuie an early compliance with Article 48 of the Constitution. The Government of India have also appointed a Committee on Cow Protection to go, *i'der-alia,* into all the aspects of the ques_ tion of imposing a total ban on the slau. ghter of cow and its progeny. The Committee was required to give its report by 30-9-1973. The Chairman of the Committee has asked for one year's extension. This is under consideration.]

श्री दत्तोपन्त ठेंगडी : यह गोरक्षा समिति कब निर्मित की गई थी और कितने साल से इसका काम चल रहा है और अर्जेन्सी आफ द प्राब्लम देखते हुए क्या कोई फाइनल डेट सरकार अभी बता सकेंगी जब तक इसकी रिपोर्ट आनी ही चाहियें ?

प्रो० शेर सिंह : यह गोरक्षा समिति पहले 1967 में बनी और कुछ दिन चलने के बाद 3 सदस्य जो गैर-सरकारी सदस्य थे, जो गोरक्षा अभियान समिति के सदस्य थे, उन्होंने इसका बाएकाट कर दिया, मीटिंग्ज में आना बंद कर दिया । सरकार ने काफी उनसे पत्र-व्यवहार किया, बातचीत की, उनको मनाने का प्रयत्न किया लेकिन वे मीटिंग्ज में नहीं आए । उसके बाद 1972 में फिर इसका पुनर्निर्माण किया फिर दूसरे लोगों की समिति बनाई । अब वह जो नयी समिति है वह काम कर रही है । उसकी एक बैठक पिछले दिसम्बर में हुए थी । अब अगली एक बैठक 17 सितम्बर को होने वाली है । तो जो नयी समिति बनायी है उसका काम चल रहा है ।

SHRI D. THENGARI : Obviously there has been inordinate delay, for whatever reasons. So, will the Government assure us that either the work of the Com' mittee will be expedited or specify a date by which the work should be completed and report produced ? Else, is the Government prepared to have a referendum on the problem of ban on cow-slaughter ?

PROF. SHER SINGH : This is a very sensitive issue, as you know, and therefore it is not possible for the Government to-just fix a date. We have to take into consideration the views of the members of [l]he Committee. It is for the Committee to decide. We cannot expedite it saying you do it by such and such date. Many Chief Ministers of various States are also member of this Committee and they have to come here according to their conveni-ence. Also, there are non-official members So, we canot fix a time-limit and date by which they should submit their report, but we will insist on the members to expedite the report.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि जो पहले समिति बनी थी जिससे श्री गुरु शंकराचार्य जी और श्री प्रभु दत्त ब्रह्मचारी ने त्यागपत्र दिया था वह त्यागपत्र इस बात पर दिया था कि सरकार सिद्धान्तत: गोहत्या की एक बात जो समिति के सामने थी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी और सरकार केवल यह चाहती थी कि इसकी प्रैक्टिकल साइड क्या होगी इसके ऊपर ही समिति विचार करे ? तो क्या, यह जो वर्तमान समिति है वह केवल इस नाते से नहीं है कि इस प्रश्न को कितना अधिक टाला जा सके और जो सैद्धांतिक प्रश्न है कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए वह समिति के विचाराधीन प्रश्न नहीं है ? और क्या यह सही नही है कि वर्तमान में जिन प्रान्तों में गोहत्या जारी है वहां दूध देने वाली गायें कटती हैं जब कि अपने देश में दूध की उपलब्धि का महत्व सबसे बड़ा है ?

प्रो० शेर सिंह : सभापति महोदय, जिस समय इस समिति का गठन किया गया उस समय समिति के टर्म्स आफ रेफरेन्स के बारे में भी गोरक्षा अभियान समिति के नेताओं से बातचीत हुई और वह उनकी सलाह से ही बनाया गया था। तो उसके ऊपर टर्म्स आफ रेफरन्स में आने के बाद भी विचार भेद होता रहा और यह कृषि मंत्रालय ने और जो उस समय कृषि मंत्री थे उन्होंने समिति के ऊपर ही छोड़ा क्योंकि उस समिति में कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाईकोर्ट के जज भी रहे। तो उन्ही के ऊपर छोड़ा कि वे कानूनी तौर पर टर्म्स आफ रेफरेन्स के बारे में बातचीत करके अपना फैसला करें और उस पर आगे विचार करें लेकिन जो गोरक्षा अभियान महा समिति थी उसके सदस्यों ने कुछ एक आध बात पर कहा कि हम इससे आगे बात करना नहीं चाहते हैं और उनसे फिर भी कहा गया इस पर आप जो विचार देना चाहते हैं दें, जैसे और सदस्य चाहते हैं कानूनी तौर पर, आप भी विचार दीजिए। इस पर वे नहीं माने और त्याग पत्र दे दिया इस लिए दूसरी समिति बनानी पड़ी। अब इस समिति का काम शुरू हुआ है और वह अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : टर्म्स आफ रेफेरन्स के बारे में नहीं कहा?

प्रो० शेर सिंह : टर्म्स आफ रेफेरन्स के बारे में जैसा मैंने पहिले कहा कि उनसे कहा गया था को आप बैठकर फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं माना क्योंकि इस चीज को वही लोग जान सकते हैं।

जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, इस बात को सरकार भी मानती है और संविधान की धारा 48 में भी वर्णित है कि दुधारू पशुओं को सुरक्षित रखना है, उनका वध नहीं होने देना है। अब यह राज्य सरकारों का काम है कि इस सम्बन्ध में संविधान को बदलने की आवश्यकता है कि नहीं, टर्म्स आफ रेफरेंस में यह बात है। अगर राज्य सरकारों की यह राय बने और कमेटी की रिपोर्ट भी आती है तो इस बात पर विचार किया जा सकता है। अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई और उसके सामने सारे मामले पेश हैं।

SHRI ABU ABRAHAM : In view of the serious food situation in the country may I know whether the Govern ment would consider the total removal o the ban on cow-slaughter and also whethc they would appoint a committee of profe. ssional economists to consider whether Of not the slaughter of excess and useless cattle would be good for the country economy ?

PROF. SHER SINGH: It may be the viewpoint of the hon. Member; the Government does not have that point of view. As I have said, we are committed to article 48 of the Constitution and we are going to preserve the cow and its progeny. So, the Government does not accept the opinion of the hon. Member who says that we should appoint a committee just to go into the economic aspects of the question. Government does not take only the eco* nomic point of view, there are other points of view also.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: May I know whether the Government is willing to consider this matter not from an obscurantistic or a sentimental, viewpoint but from a scientific point of view ? And in view of the fact that there is now a world wide shortage in beef and the possibility of exporting beef to America, etc. will the Government consiaer slaughtering of animals which are not useful and which are dry, and also will they consider the possL bility of rearing up special breed slaughter cattle so that this country can have a bettep protein content in their food ?

PROF. SHgR SINGH: Human being is not only an economic being, he has sentiments. Therefore we cannot rule out sentiments altogether. We have to take into account the sentiments of the people also • But srill we have provided in the Gonstitu. tion itself for scientific agriculture aad all that. Now, we will consider all these points of view. Therefore, in this Committee also the terms of reference are a little wider. We have not confined them only to sentiments or to the economic aspect; we have to think about it from all points of view.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस कमेटी को मद्दे नजर रखते हुए, जो बड़े बड़े शहर है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जहां पर पशुओं का वध होता है, तो उनकी संख्या सालाना पहिले कटने की कितनी थी और अब कितने कट रहे हैं ? मैं यह बात इसलिए पूछ रहा हूं कि इस कमेटी के बनने के पश्चात् क्या गोवध की कटाई में कुछ कमी आई है और वे कौन कौन से प्रान्त हैं जहां पर अभी तक गो हत्या अभी तक नहीं रुकी है ? क्या इस कमेटी के बनने के बाद किसी प्रदेश ने इस सम्बन्ध में आगे कोई कदम उठाया है ?

प्रो० शेर सिंह : 1967 के मई के महीनें में एक पत्र उस समय के कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम जी ने लिखा था और उसके बाद कुछ युनियन टैरी-टरीज और एक आध स्टेटस ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये। लेकिन कुछ स्टेटस इस बात की प्रतीक्षा में है कि यह कमेटी कब अपनी रिपोर्ट देती है ताकि उसके मुताबिक कानून बनाया जाय।

जहां तक प्रश्न है कि वे कौन कौन स्टेटस है जहां पर गोवध निषेध कानून लागू नहीं है ? वह इस समय तक केरल, नागालेंड और हिमाचल प्रदश में कानून नहीं बना है। पंजाब के कुछ पुराने कानून हिमाचल में चल रहे है और वहां पर गोवध नहीं है। लक्ष द्वीप, गोवा, दमन और ड्यू, यहां पर भी गोवध निषेध का कानून नहीं है। मणिपुर में राजा के जमाने से कानून चल रहा है। प्रदशों में केरल और नागालेंड ही एसे प्रदेश है जहां पर कानून नहीं है। केरल के देहातों में पंचायतों के अपने कानून हैं और उसमें कुछ शर्तें रखी हुई हैं कि इस चीज को लाइसेंस लेकर किया जा सकता है। शहर में नहीं है, लेकिन पंचायत के जो कानून हैं वे पुराने बने हुए हैं। गोवा, दमन और ड्यू में अभी कोई कानून इस ढंग का नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, तामिल नाडु और वेस्ट बंगाल, जहां आंशिक प्रतिबन्ध है इन स्टेटस को छोड़ कर बाकी सब राज्यों बिहार, गुजरात, हरियाणा जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ रेजन, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अन्डमन निकोबार, आइलेन्डस, चंडीगढ, दिल्ली, नगर हवेली, पांडिचेरी, में पूर्ण प्रतिबन्ध है।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUES-TIONS

गवर्नमेंट को-एड्यूकेशन हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रेजीडेंट इस्टेट्, नई दिल्ली

*709. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट को-एड्युकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल प्रेजी-डेन्ट इस्टेट, नई दिल्ली के छात्रों को तीन या चार वर्ष पूर्व वर्दियां तथा पुस्तकें मुफ्त दी जाती थी;